

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 309/2022

जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2022/472

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1.केसाराम पुत्र मेराजराम

2.खरताराम पुत्र मेराजराम

3.अमरूदेवी पत्नी मेराजराम

जाति जाट निवासी पतासर

तहसील-पचपदरा व जिला बालोतरा

1.भेराराम पुत्र पनाराम

2.रूधाराम पुत्र पनाराम

जाति जाट निवासी पतासर

तहसील-पचपदरा व जिला बालोतरा

3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

4.शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण

बैंक शाखा बागावास

5.शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक बागावास

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- 1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
- 2.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2
- 3.विप्रार्थी संख्या 03 उपस्थित।
- 4.विप्रार्थी संख्या 4 व 5 अनुपस्थित।

:निर्णय:

दिनांक- 14.6.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण केसाराम,खरताराम पुत्र मेराजराम व अमरूदेवी पत्नी मेराजराम जाति जाट निवासी पतासर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 410/132 क्षेत्रफल 6.9120 हैक्टेयर मौजा पतासर तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 417/149 क्षेत्रफल 7.4462 हैक्टेयर भूमि में से 20 फीट चौड़ा रास्ता खोदवायें करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्राथी के रजिस्टर्ड नोटिस तामील शूदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री जूजारायम पटेल द्वारा विप्राथी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीगण के आवेदन-पत्र तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर आवेदन-पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विप्राथी संख्या 03 तहसीलदार पद्यपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है तथा मौका रिपोर्ट के संबन्ध में स्थिति स्पष्ट बाबत रिपोर्ट प्राप्त की गई। विप्राथी संख्या 04 व 05 को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
03. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्राथी के खेत खसरा संख्या 417/149 क्षेत्रफल 7.4462 हैक्टियर मीजा पतासर में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 410/132 क्षेत्रफल 6.9120 हैक्टियर तक बरंग लाल के चौड़ा रास्ता 20 फीट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता है, प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः तहसीलदार पद्यपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने के लिए सहमत है।
04. विप्राथी संख्या 01 व 02 अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। जिससे वर्तमान में अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 410/132 में आवागमन के तौर पर उपयोग व उपभोग में ले रहे है। उक्त वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 137,640/136 में से खसरा संख्या 135 तक प्रेवल सड़क के जरिए आया हुआ है। जिसके बाद उसी रास्ते से वो अपने खेत में प्रवेश करते है। विधि की मंशा अनुसार अगर किसी खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा उसका वर्तमान में उपयोग व उपभोग कर रहा है, तो वह नया रास्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र व परिशिष्ट अ में नया रास्ता विप्राथी की खातेदारी खसरा संख्या 417/149 में से चाहा गया है, उक्त रास्ता आगे खसरा संख्या 677/149 के जरिए खसरा संख्या 660/149 तक राजस्व रेकॉर्ड में राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है। परन्तु उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता नहीं है। फिर भी प्रार्थीगण ने गलत तथ्य बताकर उसे गैर मुमकिन रास्ता बताया तथा खसरा संख्या 660/149 के बाद खसरा संख्या 424/155 आया हुआ है, जो गैर मुमकिन आगौर के तौर पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 677/149, 660/149 व 424/155 में किसी प्रकार भी प्रकार से रास्ता नहीं चाहा गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से



उपस्थित अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

चाहा गया रास्ता कटान मार्ग से नहीं जुड़ता है तथा नया रास्ता स्वीकृत करने के लिए कटान रास्ता जुड़ना आवश्यक होता है,लेकिन प्रार्थीगण की ओर से चाही गए इस्तदुआ अनुसार नया रास्ता कटान मार्ग से नहीं जुड़ने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

05. हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 417/149 क्षेत्रफल 7.4462 हैक्टेयर में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण के आवेदन-पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता कटान मार्ग से नहीं जुड़ता है तथा प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो खसरा संख्या 137 व 640/136 मे से होकर खसरा संख्या 135 तक ग्रेवल सड़क के जरिए आया हुआ है और जिसके बाद उसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेत में प्रवेश करते है। इस कारण वैकल्पिक रास्ता की सुविधा होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे। विप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :-

- i. ग्राम पतासर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 410/132 क्षेत्रफल 6.9120 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 417/149 रकबा 7.4462 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम में से 0.2590 हैक्टेयर अर्थात 1.12 बीघा भूमि प्रस्तावित की गई हैं तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त है।
- ii. तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु समर्पित भूमि खसरा संख्या 677/149 का आगे मुख्य सड़क मार्ग(रिकर्डड) तक जुड़ाव की क्या स्थिति है जो रिपोर्ट में खुलासा नहीं होने के कारण पुनः मौका मुआयना करते हुए स्थिति स्पष्ट करने बाबत प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किए जाने पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन पत्राक 957/15.5.2024 के द्वारा उपलब्ध करवाया गया,रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 677/149 व खसरा संख्या 660/149 की भूमि रास्ता हेतु समर्पित की गई है। उक्त रास्ता हेतु समर्पित भूमि व मुख्य सड़क मार्ग जो रेकर्ड में दर्ज गै.मु.रास्ता खसरा संख्या 181 रकबा 2.0477 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता के मध्य भूमि खसरा संख्या 424/155 रकबा 43.4389 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आगोर है। गैर मुमकिन आगोर में मौके पर कदीमी रास्ता चलता है जिस पर ग्रेवल बिछाई हुई है,लेकिन रेकर्ड में दर्ज नहीं है। खसरा संख्या 410/132 में कटाण रास्ता तक पहुंच हेतु निकटतम अन्य कोई रास्ता नहीं है,जहां प्रस्तावित किया जा सके। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं होता बताया।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251-क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसार:-

- i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और
- ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

7. चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 410/132 में आवागमन हेतु राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251-क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 410/132 में से खसरा संख्या 658/149 में से खसरा संख्या 677/149 व 660/149 की भूमि रास्ते हेतु राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पित की गई है। उक्त रास्ता हेतु समर्पित भूमि व मुख्य सड़क मार्ग जो रेकॉर्ड में दर्ज गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 181 रकबा 2.0477 हैक्टयर किस्म गै.मु. रास्ता के मध्य भूमि खसरा संख्या 424/155 रकबा 43.4389 हैक्टयर किस्म गै.मु. आगोर है। गैर मुमकिन आगोर में मौके पर कदीमी रास्ता चलता है, जिस पर ग्रेवल बिछाई हुई है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ाता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण यह भली भांति साबित करने में सफल रहा है कि उसे रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है तथा वैकल्पिक साधन का अभाव है तथा विप्रार्थी पक्ष यह कहीं साबित नहीं कर पाया है कि प्रस्तावित रास्ता क्यों नहीं स्वीकृत किया जावे। उन द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



की सुविधा होने के कारण प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत नहीं किया जावे। उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक होता है। जबकि प्रस्तावित रास्ता का दो बार तहसीलदार पचपदरा से मौका मुआयना करवाया जाकर रिपोर्ट तलब की गई थी। यदि विप्रार्थी के तर्क में कोई सत्यता होती तो मौका रिपोर्ट में उसका उल्लेख होता, लेकिन तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई। जिससे यह कहीं स्पष्ट हो सका कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा भी प्रार्थीगण के आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता हो। जबकि तहसीलदार पचपदरा ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट टिप्पणी की गई है कि प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई निकटतम एवं उपयुक्त रास्ता नहीं है। तहसीलदार पचपदरा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया है कि प्रस्तावित रास्ता से ही प्रार्थीगण का आवागमन होता है, लेकिन विप्रार्थी प्रार्थीगण को आवागमन करने में रोक-टोक करते हैं, जो कि रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार के अधिकार का हनन होना पाया जाता है। जबकि सुखाचार के लिए आवागमन रास्ता को बाधित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

8. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल कुल रकबा 1.12 बीघा की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर-18059/- प्रति बीघा के अनुसार प्रतिकर हेतु देय राशि-57,790/- रूपये बनती है, जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम पतासर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 410/132 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 417/149 क्षेत्रफल 7.4462 हैक्टेयर में से संलग्न नक्शानुसार मार्क A-B लम्बाई 210 गटटा व चौड़ाई 03 गटटा कुल रकबा 1.12 बीघा अर्थात् क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 57790/- (अक्षरे सतावन हजार सात सौ नब्बे) रूपयें की राशि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उनके हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।



(राजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 14.6.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

